डॉ0 एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी ,पटना द्वारा दिनांक 21.05.2014 को बाल विकास परियोजना कार्यालय ,दुल्हिन बाजार का किया गया निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

निरीक्षण के समय अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार उपस्थित थी।

1.सामान्य परिचय

समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, दुल्हिन बाजार,पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल अन्तर्गत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर पटना–औरंगाबाद मुख्य सड़क पर अवस्थित है। परियोजना कार्यालय प्रखंड –सह– अंचल कार्यालय के भवन में प्रथम तल पर अवस्थित है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से स्वीकृत है एवं दिनांक 20–03–07 से संचालित है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में 133 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है जिसमें 131 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बाल विकास परियोजना दुल्हिन बाजार की कुल जनसंख्या 1024344 जिसमें पुरूष की संख्या 64550 एवं महिलाओं की संख्या 59756 है ।

2.प्रभार :–

वर्तमान में श्रीमती ममता वर्मा दिनांक 20.07.2011 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित है । इनके पूर्व निम्नांकित पदाधिकारी कॉलम 04 में अंकित अवधि में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रही हैं ।

3.परियोजना में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की पदस्थापन अवधि:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती सुगंधा शर्मा	बाल विकास परि0पदा0	20–03–07 से 02–01–08
2.	श्रीमती कुमारी सुचेता	,,	03–01–08 से 06–06–08
3.	श्रीमती प्रियंका	,,	07–06–08 से 09–01–10
4.	श्रीमती कुमारी सुचेता (प्रभार)	,,	10–01–10 से 30–05–10
5.	श्रीमती प्रियंका	,,	31–05–10 से 19–07–11
6.	श्रीमती ममता वर्मा	,,	20–07–11 से

4. पूर्व निरीक्षण :–

कमांक	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण तिथि	टिपण्णी प्राप्त होने की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार सिंह जिलाधिकारी ,पटना	18.11.2011	–	–
2	डॉ0 एन0 सरवण कुमार जिलाधिकारी ,पटना	01.12.2013	16.12.2013	20.12.2013

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–01.12.2013 को की गयी निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक–20.12.2013 को भेज दिया गया है।

5. कार्यालय स्थापना :–

इस परियोजना में संवर्गवार स्वीकृत बल के विरूद्व पदस्थापित बल एवं रिक्ति इस प्रकार है ।

संवर्ग का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	01	01	0
महिला पर्यवेक्षिका	04	03	01
सांख्यिकी सहायक	01	0	01
लिपिक सह टंकक	01	01	0
अनुसेवक	01	01	0

इस प्रकार इस परियोजना में 1 सांख्यिकी सहायक का पद रिक्त है एवं 01 महिला पर्यवेक्षिका का पद रिक्त है।

6. प्राप्त पंजी और निर्गत पंजी :–

आगत एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। वर्ष 2014 में आगत पत्रों की संख्या–78 एवं निर्गत पत्रों की संख्या–256 है।

क्र0	वर्ष	निर्गत पत्रों की सं0
01	2011	489
02	2012	598
03	2013	779
04	2014	256

आगत एंव निर्गत पत्रों की पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। निर्गत पत्रों का पंजी में संचिका संख्या (कहां रखा गया) की प्रविष्टि नहीं है। इसका अनुपालन करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया।

7.अनुक्रमणी पंजी :–

अनुक्रमणी पंजी विधिवत संधारित है ।

8.कार्यालय आदेश पंजी :–

इस कार्यालय में आदेश पंजी दिनांक 12.09.2012 से संधारित है । अभी तक कुल 65 आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। इस पंजी का संधारण सराहनीय है इसे और प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया।

09.मासिक बैठक पंजी ।

मासिक बैठक पंजी संधारित है । इस पंजी में सेविका/सहायिका की उपस्थिति हेतु पूर्व से हीं पंचायत/केन्द्र कोडवार पत्र प्रारुप तैयार किया जाता है।

10.सप्ताहिक बैठक पंजी :–

सप्ताहिक बैठक पंजी विधिवत संधारित है ।

11.उपस्थिति पंजी :–

इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी संधारित है ।

12.आकस्मिक अवकाश पंजी:–

आकस्मिक अवकाश पंजी कार्यालय में संधारित है ।

13.सेवा पुस्त:–

इस कार्यालय में पदस्थापित लिपिक, श्री कुन्दन ठाकुर का सेवा पुस्त अतरी, गया जिला से अप्राप्त है । श्रीमती कान्ता देवी, कार्यालय परिचारी का सेवापुस्त संधारित है।

14.आंगनबाड़ी सेविकाओं /सहायिकाओं की स्थिति :–

इस परियोजना में 133 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिसमें 127 रेगुलर एवं 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है ।

क्रम संख्या	आं. सेविका/ सहायिका	स्वीकृत	चयनित	कार्यरत	रिक्त	प्रशिक्षण	अप्रशिक्षित
1	आं. सेविका	133	131	131	02	130	01
2	आंगनबाड़ी सहायिका	127	115	106	12	106	09

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त रिक्ति के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन पूर्व से निर्गत है तदनुसार आवंटन प्राप्त हो चुका है और औपबंधिक मेधा सूची बन गया है। 10 दिनों के अन्दर चयन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

15.आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति

कमांक	परियोजना का नाम	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या	निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की संख्या	निर्माणाधिन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की संख्या	शेष केन्द्रो की संख्या
1	दुल्हिन बाजार	133	26	32	75

16.रक्षी संचिका :–

रक्षी संचिका संधारित है ।

17.लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद संबंधित प्रश्न:–

लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद संबंधित प्रश्न लंबित नही है ।

18.न्यायालय संबंधित मामलें :–

इस कार्यालय में न्यायालय संबंधित मामला नहीं है ।

19.पेंशन संबंधी मामले :–

इस परियोजना में पेंशन संबंधित मामला नहीं है ।

20.पूरक पोषाहार :–

कुल 113 केन्द्रों पर पूरक पोषाहार संचालित है ।

21.भंडार पंजी :–

इस कार्यालय में भंडार पंजी संधारित है ।

22.सेविका /सहायिका का मानदेय :–

सेविका/सहायिका का मानदेय फरवरी 2014 तक भुगतान कर दी गई है । आवंटन के अभाव मे मार्च 2014 से मानदेय लंबित है ।

23.डाटा इंट्री ऑपरेटर :–

इस परियोजना में डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में श्री संतोष कुमार दिनांक 15.2.2012 से कार्यरत है ।

24.वाहन :–

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में भाड़े का वाहन लेकर सरकारी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है।

25.सूचना का अधिकार :–

इस परियोजना में सूचना का अधिकार लंबित नही है ।

26.जन शिकायतः–

अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त 02 जन शिकायत लंबित है जिसका निष्पादन कर दी जायेगी ।

27.मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा :–

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल 4120 लक्ष्य के विरूद्व 4075 आवेदन पत्र यू0टी0आई0 बैंक को भेजी गई है जिसमें से 2049 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है ।

28.आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण :–

आंगनबाड़ी केन्द्रो का निरीक्षण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा की जाती है ।

29.रोकड़ पंजी :–

रोकड़ी बही संधारित है। दिनांक 19.05.2014 तक राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	मद का नाम	अंत शेष की राशि
1	मानदेय	92945.00
2	पोशाक (बच्चो का)	1680000.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्र किराया	7800.00
4	पोषाहार (स्थायी अग्रिम)	4281375.00
5	केन्द्र आकस्मिकता	60000.00
6	वर्दी पोशाक	13825.00
7	सबला (स्थायी अग्रिम)	1547625.00
8	सूचना का अधिकार	126.00
9	केन्द्र से वसूली राशि	14654.00
10	सेविका सहायिका वर्दी	2150.00
11	चेक की वापस राशि	21130.00
12	सबला प्रशिक्षण	30000.00
	कुलः–	**7751630.00**

उपरोक्त विवरणी के अनुसार सहायक रोकड़ बही की मांग की गयी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में तीन मद में आवंटन प्राप्त होता है परन्तु सामान्य रोकड़ बही में ही एक साथ लिख दिया जाता है। अलग–अलग सहायक रोकड़ बही संधारित नहीं किया जाता है। यह उचित नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राप्त आवंटन मदवार अलग–अलग सहायक रोकड़ बही खोलकर प्रतिदिन ट्रांजेक्शन भी संधारित करना सुनिश्चित करे। तदनुसार इसको समेकित कर

प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को दिनांक–31.05.2014 तक करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

रोकड़ बही के अनुसार राशि निम्न प्रकार संधारित है।

1	राशि बैंक में	भारतीय स्टेट बैंक दानापुर पटना । (A/c :–30153011516)	750077.00
		इलाहाबाद बैंक, सोरमपुर दुल्हिन बाजार (A/c :–22372964026)	1161701.50
		कुल राशि	1911778.50
2	अग्रिम मे रूप में (पोषाहार)		2667931.50
3	पोशाक अग्रिम		1495000.00
4	सबला (स्थायी अग्रिम से)		1637865.00
5	आर0टी0जी0एस0		1122.00
6	सबला अग्रिम		16050.00
7	अभिश्रव के रूप में		25616.00
8	हाथ में		121.00
	कुल :–		**7755484.00**
	बैंक का सूद		(–) 3854.00
	कुल		**7751630.00**

Bank Reconcilation Statement (BRS)

व्यय का मद	शीर्ष	बैंक शाखा एवं खाता	रोकड़ बही/बैंक पंजी का अवशेष	बैंक पासबुक अवशेष	अन्तर की राशि	अन्तर का कारण	राशि का समायोजन का मद	समायोजन का साक्ष्य प्राप्ति रसीद चलान, आदि का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एस.बी.आई. दानापुर 30153011516	750077.00	756866.00	6789.00	चेक का नहीं भेजना इत्यादि			
		इलाहाबाद सोरमपुर दुल्हिन बाजार 22372964026	1161701.50	1153747	7954.50 (बैंक में कम)				

उपरोक्त विवरणी को रोकड़ बही से मिलान किया गया एवं सही पाया गया।

<u>अभिश्रव पंजी:–</u> इस पंजी से उपलब्ध विवरणी का मिलान किया गया एवं सही पाया गया।

विभिन्न अग्रिम से संबंधित विवरणी को अलग–अलग पंजी नहीं दिखाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा विभिन्न अग्रिम के लिए अलग–अलग पंजी संधारित नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उपरोक्त विवरणी से अग्रिमवार पंजी का मिलान कर लेना चाहिए।

इसी तरह बैंक विवरणी में 6789 रू0 की अधिकता एवं 7954.50 रू0 की कमी है परन्तु इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि बैंक स्टेटमेंट को पूर्ण रुप से जांच कर बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसकी कार्रवाई तथा उपरोक्त अन्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं कृत कार्रवाई से दिनांक–06.06.2014 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

निष्कर्ष :–

1. रोकड़ बही एवं अभिश्रव पंजी/अग्रिम पंजीयों के संधारण में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इस कार्यालय में प्रयोग किये जा रहे प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए नये सिरे से करने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया। तदनुसार प्रतिवेदन दिनांक–05.06.2014 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।
2. इस परियोजना के पदाधिकारी एवं कार्यालय के प्रयोग हेतु एक हीं कमरा है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सीमित जगह को देखते हुए अपने आपस में समन्वय रखकर प्रभावी प्रयोग करने का निदेश दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि सेविका/सहायिका की बैठक प्रखण्ड कार्यालय स्थित प्रथम तल सभाकक्ष में हीं किया जाय।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं उपस्थित महिला पर्यवेक्षिका को निदेशित किया गया कि वे प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर अधिक से अधिक संख्या में केन्द्र का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। केन्द्र संचालन में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित सेविका/सहायिका के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केन्द्र संचालन की अवधि में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित रहें।

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 6411/गो० पटना, दिनांक– 18/6/14

प्रतिलिपि :– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) पटना/स्थापना उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक 6411/गो० पटना, दिनांक– 18/6/14

प्रतिलिपिः– निदेशक, आई.सी.डी.एस. बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना